न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **242/17 (वाद)**

GCMS No. : 2017/00390

उनवान

1. जमनाशंकर पिता लेलापत जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) 1.
2. कंकु पुत्री लेलापत जी पत्नी नरेश जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी रोयड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
3. लेहरीबाई पत्नी लेलापत जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम

1. कालु पिता नारायण जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. भेरूलाल पिता नारायण जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. मांगीबाई पुत्री नारायण जी पत्नी धनराज जी जाति ब्राहमण, आयु वयस्क, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
4. गीताबाई पुत्री नारायण जी पत्नी भुरालाल जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी वाना, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
5. घीसीबाई पत्नी नारायण जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88–63(1)(4)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 16.02.2026

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईन्टाली पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 2232 रकबा 14 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम 1/16 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से दर्ज है। आराजी नम्बर 1099, 1107, 1341, 1562 किता 4 कुल रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम 1/24 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से दर्ज है। आराजी नम्बर 1551, 1573 किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि राजस्व

रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम 3/32 हिस्से से संयुक्त रूप से दर्ज है। आराजी नम्बर 607, 608, 609, 612, 615, 623, 625, 626, 632, 633, 634, 635, 636, 657, 658, 1355, 1358, 1359, 1360, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1493, 1494, 1539, 1540, 1560, 1561, 1567, 1576, 1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 2237, 2591 किता 42 कुल रकबा 65 बीघा 4 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम 1/4 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से दर्ज है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम चायलो का खेड़ा पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 3956, 3957, 3958, 3959, 4732, 4733, 4734 किता 7 कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम 1/4 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से दर्ज है। हम पक्षकारान का सजरा निम्न प्रकार है।

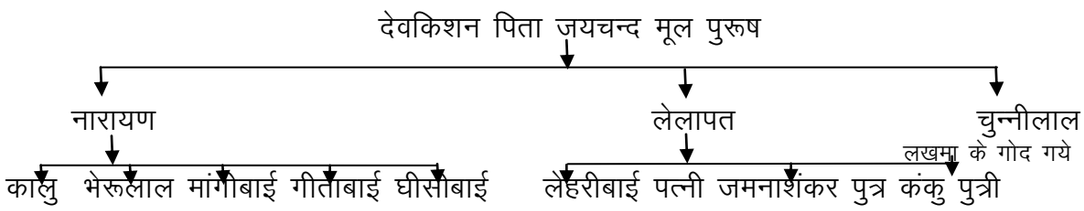

उक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष देवकिशन जी थे जिनके तीन पुत्र नारायण, लेलापत, चुन्नीलाल हुए। नारायण का निधन हो चुका है जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 कालु, भेरूलाल, मांगीबाई, गीताबाई, घीसीबाई है। लेलापत का निधन हो चुका है जिनके वारिस लेहरीबाई, जमनाशंकर, कंकू वादीगण है। चुन्नीलाल जी लखमा जी के गोद चले गये। जिससे चुन्नीलाल जी का देवकिशन जी की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार नही रहा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज भूमि हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पैतृक सम्पत्ति है जो पूर्व में हमारे मौरूस देवकिशन पिता जयचन्द के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज थी तथा हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अपने हिस्सेनुसार कृषि भूमियों पर काबिज होकर उपयोग उपभोग भी करते आ रहे है।

2. यह कि हमारे मौरूस देवकिशन के देहावसान के पश्चात् राजस्व अधिकारियों द्वारा विरासत से उनके वारिसान के नाम पर जो नामान्तरकरण खोला गया वह केवल मात्र उनके सबसे बड़े पुत्र नारायणलाल के नाम पर ही खोल दिया गया और देवकिशन के दूसरे पुत्र लेलापत जो हमारे पिता/पति है, उनका नाम

विरासत के नामान्तरकरण में दर्ज नही किया गया अर्थात उनके सभी वारिसान का नाम विरासत के नामान्तरकरण में दर्ज नही किये गये जिससे विरासत का नामान्तरकरण अकेले प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता/पति नारायण के नाम पर स्वीकृत होकर देवकिशनजी के खातेदारी की कुलिया जमीन अकेले नारायण जी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई जबकि देवकिशन जी के नाम दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि हमारे पिता/पति लेलापत जी के नाम पर भी दर्ज होना चाहिए था जो नही हुआ। राजस्व अधिकारियो द्वारा देवकिशन जी की मृत्यु के पश्चात् नारायणजी के नाम पर जो विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह एवं इससे राजस्व रेकर्ड में जो परिवर्तन हुआ है वह हम वादीगण के हितो के मुकाबले स्वतः ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। मौके पर आज भी हम वादीगण हमारे पिता/पति लेलापत जी से प्राप्त हिस्सा भूमि पर प्राप्त हो काश्त करते आ रहे है तथा पहले हमारे पिता/पति लेलापत जी उनके जीवनकाल में इस हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त करते आ रहे थे। इसलिये हम वादीगण उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि का 1/2 हिस्सा जो हमारे पिता/पति लेलापत जी के हिस्से का है तथा इस हिस्से पर हम वादीगण काबिज हो काश्त करते आ रहे है उसे अपने नाम खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है।

3. यह कि विवादित भूमि पर हमारे पिता/पति एवं हम वादीगण का विरासत से करीबन 60 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है और हम वादीगण इस भूमि का उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के निर्विवाद रूप से करते आ रहे है और हम वादीगण ने मौके पर अपनी भूमि पर पत्थर का कोट/थौहर की बाड़ बना रखी है और हमने अपने हक हिस्से की भूमि को काश्त योग्य बनाने मे भी लाखों रूपयों का खर्चा किया और भूमि को आवादान की है। वैसे भी 60 वर्ष से कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि पर हम वादीगण का प्रतिकूल कब्जा चला आ रहा है जिसके आधार पर भी धारा 63 (1), (4) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट. के तहत हम वादीगण् खातेदार काश्तकार हो गये है। इसलिये हम वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि को अपने नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकर्ड में अंकन कराने के अधिकारी है।

4. यह कि हम वादीगण का प्राइमाफैसी कैस है क्योंकि वादगत कृषि भूमि हम वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है तथा कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में अपने 1/2 हिस्सा भूमि पर लगभग 60 वर्षों से हमारे पिता/पति एवं वर्तमान में हम वादीगण काबिज हो अपने हिस्सा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपयोग बिना किसी बाधा के, निर्बाध रूप से, निरन्तर बिना किसी रोकटोक के कर रहे हैं जिसमें प्रतिवादी सं. 1 से 5 का कोई हक व अधिकार, दखलन्दाजी नही है। इसलिये उक्त भूमि हमारे नाम पर खातेदारी हक से घोषित किये जाने से प्रतिवादी सं. 1 से 5 या अन्य किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति या असुविधा नही होगी। यदि उक्त भूमि हमारे खातेदारी हक की घोषित नही की जावेगी तो हम वादीगण को भारी क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन भी हमारे के पक्ष में है।
5. यह कि हम वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 03.10. 2017 को उत्पन्न हुआ जब हम वादीगण प्रतिवादी सं. 1 से 5 को हमारे हिस्से की भूमि हमारे नाम पर कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने साफ इन्कार कर दिया। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
6. अंत में निवेदन किया की हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में हम वादीगण को 1/2 हिस्सानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी खेवट खतौनी में अंकन फरमाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। अन्य मुफिद दाद वादी जो कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी हो दिलाई जावें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं रहती हैं। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी संख्या 1 स्वयं जमनाशंकर पिता लेलापत निवासी ईण्टाली तहसील मावली एवं स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू 2 मांगीलाल पिता नाथुलाल मेनारिया निवासी ईण्टाली के शपथ पत्र पेश किए गए। गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी संख्या 1 स्वयं जमनाशंकर पिता लेलापत निवासी ईण्टाली तहसील

मावली द्वारा दस्तावेज मौजा ईण्टाली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 1, भू प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान पत्रक सम्वत् 2022 प्रदर्श 2, जमाबन्दीं नकल महकमे बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर सम्वत् 1984 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 4, भू प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान पत्रक सम्वत् 2021 प्रदर्श 5, जमाबन्दी नकल महकमे बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर सम्वत् 1984 प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 7, भू प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान पत्रक सम्वत् 2021 प्रदर्श 8, जमाबन्दी नकल महकमे बन्दोबस्तं राज्य मेवाड उदयपुर सम्वत् 1984 प्रदर्श 9, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 10, भू प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान पत्रक सम्वत् 2021 प्रदर्श 11, भू प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान पत्रक सम्वत् 2022 प्रदर्श 12, जमाबन्दी नकल महकमे बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर सम्वत् 1984 प्रदर्श 13, मौजा चायलो का खेडा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 14, भू प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान पत्रक सम्वत् 2022 प्रदर्श 15, मौजा चायलो का खेडा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 16, भू प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान पत्रक सम्वत् 2022 प्रदर्श 17, जमाबन्दी नकल महकमे बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर सम्वत् 1984 प्रदर्श 18, कार्यालय ग्राम पंचायत ईण्टाली द्वारा प्रस्तुत सजरा प्रमाण पत्र प्रदर्श 19 पेश किये।

8. प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस दावा सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। न्यायालय द्वारा ग्राम ईण्टाली का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 105 दिनांक 26.10.1956 का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तरकरण वादग्रस्त भूमि के संबंध में पारित किया गया था। उक्त नामान्तरकरण के अनुसार वादग्रस्त भूमि जयचन्द पिता चतर्भुज के नाम दर्ज थी। जो विरासत से भेरा, भारमल पिता जयचन्द 1/2, नारायण पिता देवकिशन 1/4, चुन्नीलाल मुतबन्ना लखमीचन्द 1/4 ब्राहम्ण साकिन देह के नाम दर्ज हुई। उक्त नामान्तरकरण से जाहीर होता है कि जयचन्द के पुत्र देव किशन का निधन जयचन्द से पूर्व ही हो जाने के कारण विरासत से सीधे ही वादग्रस्त भूमि देवकिशन के पुत्र नारायण के नाम दर्ज हुई। ग्राम ईंटाली पटवार हल्का ईंटाली की जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता

संख्या 531 पर दर्ज आराजी 2232 रकबा 14 बिस्वा भूमि कालु, भेरूलाल, मांगीबाई, गीताबाई पिता नारायण, घीसी बाई बेवा नारायण के नाम संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 532 पर दर्ज आराजी नम्बर 1099, 1107, 1341, 1562 किता 4 कुल रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा भूमि कालु, भेरूलाल, मांगीबाई, गीताबाई पिता नारायण, घीसी बाई बेवा नारायण के नाम संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सा दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 514 पर दर्ज आराजी नम्बर 1551, 1573 किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि कालु, भेरूलाल, मांगीबाई, गीताबाई पिता नारायण, घीसी बाई बेवा नारायण के नाम संयुक्त रूप से 3/32 हिस्सा दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 585 पर दर्ज आराजी नम्बर 607, 608, 609, 612, 615, 623, 625, 626, 632, 633, 634, 635, 636, 657, 658, 1355, 1358, 1359, 1360, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1493, 1494, 1539, 1540, 1560, 1561, 1567, 1576, 1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 2237, 2591 किता 42 कुल रकबा 65 बीघा 4 बिस्वा भूमि कालु, भेरूलाल, मांगीबाई, गीताबाई पिता नारायण, घीसी बाई बेवा नारायण के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम चायलो का खेड़ा की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 518 पर दर्ज आराजी नम्बर 3956, 3957, 3958, 3959, 4732, 4733, 4734 किता 7 कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा बिस्वा भूमि कालु, भेरूलाल, मांगीबाई, गीताबाई पिता नारायण, घीसी बाई बेवा नारायण के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि नारायण के निधन के पश्चात वादग्रस्त भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हुई। विरासत नामान्तरकरण संख्या 105 दिनांक 26.10.1956 एवं प्रदर्श 19 ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरे के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार जयचन्द के चार पुत्र भेरा, भारमल, देवकिशन, लखमीचन्द थे। जयचन्द के निधन से पूर्व ही जयचन्द के पुत्र देवकिशन एवं लखमीचन्द का निधन हो चुका था। जिसके कारण लखमीचन्द का हिस्सा उसके गोद पुत्र चुन्नीलाल के नाम दर्ज हुआ जो देवकिशन का पुत्र था। देवकिशन का हिस्सा उसके पुत्र नारायण के नाम दर्ज हुआ। वाद पत्र में अंकित सजरे एवं प्रदर्श 19

ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरे अनुसार देवकिशन के तीन पुत्र नारायण, लेलापत, चुन्नीलाल थे। जिनमें चुन्नीलाल उपर्युक्त नामान्तरकरण से स्पष्ट है कि लखमीचन्द के गोद चला गया। इस प्रकार देवकिशन के दो पुत्र नारायण एवं लेलापत है। जयचन्द की विरासत से पूर्व देवकिशन का निधन हो जाने वादग्रस्त भूमि में केवल मात्र नारायण का नाम अंकित हुआ। जबकि देवकिशन के पुत्र लेलापत का नाम अंकित नही किया गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि जयचन्द के नाम दर्ज थी। जयचन्द के चार पुत्र भेरा, देवकिशन, लखमा, भारमल थे। जयचन्द की विरासत से पूर्व ही देवकिशन एवं लखमा का निधन हो चुका है। जयचन्द की विरासत से वादग्रस्त भूमि भेरा भारमल पिता जयचन्द, नारायण पिता देवकिशन, चुन्नीलाल मुतबन्ना लखमा के नाम दर्ज हुई। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार किसी खातेदार का निधन हो जाता है तो उसके नाम दर्ज हिस्सा भूमि विरासत से उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम दर्ज होती है। यदि कोई प्रथम श्रेणी के वारिस का निधन हो जाता है तो उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम दर्ज होती है। इस प्रकरण में जयचन्द के प्रथम श्रेणी के वारिस भेरा, देवकिशन, लखमा, भारमल थे। ऐसे में वादग्रस्त भूमि इनके नाम दर्ज होनी चाहिए थी। परन्तु देवकिशन एवं लखमा का निधन हो जाने से वादग्रस्त भूमि जयचन्द से सीधे ही देवकिशन एवं लखमा के प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। लखमा का हिस्सा तो उसके गोदपुत्र चुन्नीलाल जो देवकिशन का पुत्र था उसके नाम दर्ज कर दी गई। परन्तु देवकिशन के हिस्से की भूमि को केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मौरूस नारायण के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि देवकिशन के तीन पुत्र नारायण, लेलापत, चुन्नीलाल थे। चुन्नीलाल, लखमा के गोद चले जाने से देवकिशन की हिस्सा भूमि उसके शेष दो पुत्रों नारायण एवं लेलापत के नाम दर्ज होना चाहिए था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही कर देवकिशन के हिस्से में केवल मात्र नारायण का ही नाम दर्ज किया गया। जिसके पश्चात नारायण का निधन होने पर विरासत विरासत से वादग्रस्त भूमि नारायण के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हो गई। ऐसे में न्यायालय का मानना है कि जयचन्द के नाम दर्ज भूमि में 1/4 हिस्सा देवकिशन था। देवकिशन के 1/4 हिस्से में उसके दो पुत्रों नारायण एवं लेलापत का हिस्सा निहित था। इस प्रकार जयचन्द के निधन से पूर्व ही देवकिशन का निधन हो

जाने जयचन्द के निधन के पश्चात ही वादीगण के मौरूस लेलापत वादग्रस्त भूमि में हिस्से अनुसार खातेदार हो चुका था। वादीगण के मौरूस लेलापत के निधन पश्चात वादीगण हिस्सेनुसार खातेदार हो चुके थे। केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि से विरासत के नामान्तरकरण में इनका नाम दर्ज नही होने से जमाबंदी में भी इनका नाम दर्ज नही हो सका। जबकि वादीगण हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत जयचन्द, देवकिशन, लेलापत के निधन के पश्चात से ही खातेदार हो चुके थे। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम ईंटाली पटवार हल्का ईंटाली तहसील मावली की हाल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 72 पर दर्ज आराजी नम्बर 2232 रकबा 0.1133 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/32 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/32 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 86 पर दर्ज आराजी नम्बर 1099, 1107, 1562 किता 3 रकबा 0.2590 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 84 पर दर्ज आराजी नम्बर 1341 किता 1 रकबा 3.6098 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 720 पर दर्ज आराजी नम्बर 1551, 1573 किता 2 रकबा 0.6961 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त

रूप से 3/32 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 3/64 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 3/64 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 448 पर दर्ज आराजी नम्बर 607, 608, 609, 612, 615, 623, 625, 626, 632, 633, 634, 635, 636, 657, 658, 1355, 1358, 1359, 1360, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1493, 1494, 1539, 1540, 1560, 1561, 1567, 1576, 1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 2237, 2591 किता 42 कुल रकबा 10.5542 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार ग्राम चायलो का खेड़ा पटवार हल्का ईंटाली तहसील मावली की हाल नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 518 पर दर्ज आराजी नम्बर 3956, 3957, 3958, 3959, 4732, 4733, 4734 किता 7 कुल रकबा 0.7933 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. जमनाशंकर पिता लेलापत जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) 1.
2. कंकु पुत्री लेलापत जी पत्नी नरेश जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी रोयड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
3. लेहरीबाई पत्नी लेलापत जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम

1. कालु पिता नारायण जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. भेरूलाल पिता नारायण जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. मांगीबाई पुत्री नारायण जी पत्नी धनराज जी जाति ब्राहमण, आयु वयस्क, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
4. गीताबाई पुत्री नारायण जी पत्नी भुरालाल जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी वाना, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)
5. घीसीबाई पत्नी नारायण जी जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 242/17 (वाद)

GCMS No. – 2017/00390

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम ईंटाली पटवार हल्का ईंटाली तहसील मावली की हाल जमाबंदी

संवत 2077–80 के खाता संख्या 72 पर दर्ज आराजी नम्बर 2232 रकबा 0.1133 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/16 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/32 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/32 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 86 पर दर्ज आराजी नम्बर 1099, 1107, 1562 किता 3 रकबा 0.2590 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 84 पर दर्ज आराजी नम्बर 1341 किता 1 रकबा 3.6098 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/48 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 720 पर दर्ज आराजी नम्बर 1551, 1573 किता 2 रकबा 0.6961 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 3/32 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 3/64 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 3/64 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 448 पर दर्ज आराजी नम्बर 607, 608, 609, 612, 615, 623, 625, 626, 632, 633, 634, 635, 636, 657, 658, 1355, 1358, 1359, 1360, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1493, 1494, 1539, 1540, 1560, 1561, 1567, 1576, 1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 2237, 2591 किता 42 कुल रकबा 10.5542 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

इसी प्रकार ग्राम चायलो का खेड़ा पटवार हल्का ईंटाली तहसील मावली की हाल नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 518 पर दर्ज आराजी नम्बर

3956, 3957, 3958, 3959, 4732, 4733, 4734 किता 7 कुल रकबा 0.7933 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 से 3 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.02.2026 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली